

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं  
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या - 06/2018  
किस्म मुकदमा - प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1. श्री मोहन पुत्र भोलु चमार, निवासी टिटोड़ा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा 2. शिवम् सिन्कोटेक्स प्रा. लि., नानकपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
	—प्रार्थी		—विपक्षीगण

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अवाई अन्तर्गत धारा 3G राष्ट्रीय  
राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to Acquisition  
Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.03.2019	<p align="center"><b>:: आदेश ::</b></p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 21/08/2017 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 02/09/2017 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 01/03/2018 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 21/03/2018 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी हैं।</p> <p>परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने पत्राक: 1141 दिनांक 08/03/2018 के क्रम में विहित अधिनियम के तहत धारा 3D में अधिसूचित अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना है।</p> <p>परियोजना निदेशक से प्राप्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी संख्या 1 के खाते में अंकित ग्राम नानकपुरा की आराजी नं० 598/5 में से 0.0253 हैक्टर एवं आराजी नं० 598/6 में से 0.0379 हैक्टर एवं आराजी नं० 598/7 में से 0.0380 हैक्टर एवं आराजी नं० 598/8 में से 0.0380 हैक्टर भू-भाग अवाप्त किया गया है।</p> <p>तहसीलदार माण्डल से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार ग्राम नानकपुरा की आराजी नं० 598/5, किस्म बारानी।।, रकबा 0.02 बीघा में से 0.0253 हैक्टर एवं आराजी नं० 598/6, किस्म बारानी।।, रकबा 0.03 बीघा में से 0.0379 हैक्टर एवं आराजी नं० 598/7, किस्म बारानी।।, रकबा 0.03 बीघा में से 0.0380 हैक्टर अधिसूचित है, लेकिन उक्त आराजी नम्बर 598/7 का कुल क्षेत्रफल ही 0.0379 हैक्टर होने से 0.0379 हैक्टर ही अवाप्ताधीन है। इसी प्रकार आराजी नं० 598/8, किस्म बारानी।।, रकबा 0.03 बीघा में से 0.0380 हैक्टर अधिसूचित है, लेकिन उक्त आराजी नम्बर 598/8 का कुल क्षेत्रफल ही 0.0379 हैक्टर होने से 0.0379 हैक्टर ही राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ाकरण में अवाप्ताधीन है। अवाप्ताधीन भूमि की DLC दर उप पंजीयक माण्डल से प्राप्त की गयीं। अवाप्ताधीन भूमि पर निर्मित निर्माण संरचना के संबंध में परियोजना निदेशक ने अधिकृत मूल्यांकन कर्ता द्वारा तैयार तथा स्वयं एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रमाणित एवं सत्यापित मूल्यांकन प्रतिवेदन शिवम् सिन्कोटेक्स प्रा लि के</p>	

सत्यापित मूल्यांकन प्रतिवेदन को आधार स्तम्भ लिया जाकर ग्राम नानकपुरा की आराजी नं० 598/5, किस्म बारानी।।, रकबा 0.02 बीघा में से 0.0253 हैक्टर एवं आराजी नं० 598/6, किस्म बारानी।।, रकबा 0.03 बीघा में से 0.0379 हैक्टर एवं आराजी नं० 598/7, किस्म बारानी।।, रकबा 0.03 बीघा में से 0.0379 हैक्टर एवं आराजी नं० 598/8, किस्म बारानी।।, रकबा 0.03 बीघा में से 0.0379 हैक्टर कुलिया रकबा 0.1390 अर्थात् 1390 वर्ग मीटर भूमि का प्रतिकर विपक्षी संख्या 1 के नाम तथा निर्मित निर्माण संरचना का प्रतिकर विपक्षी संख्या 2 के नाम निर्धारण करने के आदेश दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर निर्मित निर्माण संरचना का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र०सं०	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं० (ग्राम नानकपुरा)	598/5, 598/6, 598/7, 598/8
2	अवाप्ताधीन रकबा	0.0253, 0.0379, 0.0379, 0.0379 हैक्टर कुलिया 0.1390 हैक्टर
3	किस्म भूमि	बारानी।।
4	हितबद्ध खातेदार	श्री मोहन पुत्र भोलु चमार, निवासी टिठोड़ा, तह० जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा, शिवम् सिन्कोटेक्स प्रा. लि., नानकपुरा
5	दिनांक 21.08.2017 को DLC दर (प्रति बीघा)	22,74,679- रुपये
6	दिनांक 21.08.2017 को DLC दर (प्रति वर्गमीटर)	899.33- रुपये
7	PWD के अनुसार ग्राम नानकपुरा की शहरी सीमा से स्थित दूरी	18.10 कि.मी.
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र X दर)	12,50,068- रुपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 10-20 किमी पर देय कारक 1.50 गुणा की दर से राशि	18,75,102- रुपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार हितबद्ध व्यक्ति शिवम् सिन्कोटेक्स प्रा. लि. स्थायी संरचना का मूल्य	7,83,467- रुपये
11	योग (9+10)	18,75,102- रुपये 7,83,467- रुपये = 26,58,569- रुपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं० 11 अंकित राशि का	18,75,102- रुपये 7,83,467- रुपये = 26,58,569- रुपये
13	दिनांक 02.09.2017 से 15.03.2019 तक कुल 559 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	2,29,738- रुपये
14	कुल मुआवजा राशि	39,79,942- रुपये 15,66,934- रुपये योग - कॉलम नं० (11+12+13) = 55,46,876- रुपये
15	कुल प्रतिकर राशि 15,66,934- पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर (TDS) कटौती	1,56,693- रुपये
16	हितबद्ध खातेदारों को भुगतान की जाने वाली राशि	= 53,90,183- रुपये
	हितबद्ध खातेदार श्री मोहन पुत्र भोलु चमार को भुगतान किये जाने वाली राशि	39,79,942- रुपये
	शिवम् सिन्कोटेक्स प्रा. लि. को भुगतान किये जाने वाली राशि	14,10,241- रुपये

श्री मोहन चुमार को भुगतान किये जाने वाली राशि

अक्षर - उन्चालीस लाख उन्चासी हजार नौ सौ बियालीस रुपये मात्र

शिवम् सिन्कोटेक्स प्रा. लि. को भुगतान किये जाने वाली राशि

श्री मोहन चुमार को भुगतान किये जाने वाली राशि  
अक्षर - उन्चालीस लाख उन्चासी हजार नौ सौ बियालीस रुपये मात्र  
शिवम् सिन्कोटेक्स प्रा. लि. को भुगतान किये जाने वाली राशि

अवाप्त भूमि का अवाई जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फ़ैसल शुमार की जावे।



(राकेश कुमार)

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)  
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)  
भीलवाड़ा